08.09.17 भारतीय मानक ब्यूरों बनाम गुरूदीप व अन्य

प्रति हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय
कोटपूतली, जिला-जयपुर

अधिवक्ता परिवादी श्री अभिषेक अग्रवाल उपस्थित। अभियुक्त गुरूदीप व महेश सराधना ने न्यायालय में सरैण्डर किया। अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण को धारा 11(1) ब्यूरो आफ इडियन स्टेण्डर्स एक्ट 1986 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझा गया तो अभियुक्तगण ने स्वेच्छया लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का आवेदन पेश किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत स्वैच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति आवेदन को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को अपराध अर्न्तगत धारा 11(1) ब्यूरो आफ इडियन स्टेण्डर्स एक्ट 1986 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

सजा के प्रशन पर अभियुक्त की ओर से निवेदन रहा है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम ही अपराध है वह ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है। परिवार में अकेले कमाने वाले है तथा अतः उन्हे परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध कर अभियुक्तगण को उचित दण्ड देने का निवेदन किया।

सजा के प्रशन पर उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किये जाने के उपरांत यह सही है कि अभियुक्तगण पूर्व में दोषसिद्ध नहीं है लिहाजा अभियुक्तगण का यह प्रथम ही अपराध है। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के है। अतः तथ्यों एंव परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अभियुक्त गुरूदीप पुत्र मुन्नालाल व महेश सराधना पुत्र छाजूराम गुर्जर निवासी कोटपूतली जिला जयपुर को धारा 11(1) ब्यूरो आफ इडियन स्टेण्डर्स एक्ट 1986 के अपराध की दोषसिद्धि में अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा व पांच–पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से अर्थ दण्ड के रुप में राशि दस हजार रूपये जरिये रसीद संख्या 31/081304 दिनांक 08.09.17 जमा करवाई गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(महेश कुमार)

(श्रीमती दीक्षा सूद)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटपूतली, जिला जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटपूतली, जिला-जयपुर

(गुरुदीप)

प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कोटपूतली, जिला-जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय
कोटपूतली, जिला-जयपुर